

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2021-22

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप-10) विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढँचा एवं पदीय स्थिति	2-3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढँचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य	5
5.	प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	6-8
6.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	9-11

1 भूमिका :- आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है। द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रैल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप-10) विभाग में शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये हैं, जिसमें से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढाँचा एवं पदीय स्थिति :—

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	01	00	01	शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	01	01	00	—
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	02	00	02	1 पद ब्रष्टाचार निरोधक व्यूरो 1 पद अभियोजन निदेशालय उप निदेशक पद के विरुद्ध कार्यरत
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	15	15	00	2 पद ब्रष्टाचार निरोधक व्यूरो एवं 1 पद लोक अभियोजक श्रीगंगानगर
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ट लोक / अपर लोक अभियोजक	91	91	00	36 पद जिला स्तर पर 16 पद अपर लोक अभियोजक 16 पद विशिष्ट लोक अभियोजक 01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद निदेशालय विकित्सा विभाग 18 पद विशेष लोक अभियोजक ब्रष्टाचार निवारण आधिनियम न्यायालय 01 पद अभियोजन निदेशालय 01 पद आर.पी.ए. 01 पद बम लारट न्यायालय
6.	अभियोजन अधिकारी	297	276	21	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद आर.पी.ए. 02 पद पी.टी.एस. 01 पद इ.टी.एस. 02 पद जे.डी.ए. शेष पद न्यायालयों में अभियोजन पैरवी हेतु
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	478	282	196	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) शेष पद न्यायालयों में अभियोजन पैरवी हेतु
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	02	01	01	—
9.	निजि सचिव	01	01	00	—
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	03	02	01	—
11.	संस्थापन अधिकारी	02	00	02	—
12.	प्रशासनिक अधिकारी	05	02	03	—
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	46	37	09	—
14.	निजि सहायक	05	04	01	—
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	01	00	01	—

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	14	10	—
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00	—
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00	—
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	00	—
20.	शीध लिपिक	09	00	09	—
21.	सूचना सहायक	39	19	20	
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	125	113	12	—
23.	वरिष्ठ सहायक	319	87	232	
24.	कनिष्ठ सहायक	601	542	59	
25.	ड्राईवर	01	01	00	—
26.	जमादार	31	11	20	—
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	792	141	651	—
	योग	2894	1635	1259	—

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा



1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	उप निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव / निजी सहायक
10	सहायक सांचियकी अधिकारी / सांचियकी निरीक्षक
11	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
12	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
13	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

4. **विभागीय प्रमुख कार्य** – अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणों में पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :–
- (अ) न्यायिक मजिस्ट्रेट – राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है।
- (ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है।
- (स) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु राज्य मे 18 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयों मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 18 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है।
- (ड) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयों मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है।
- (च) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार – राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारों मे से 2 न्यायालयों मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है।
- (छ) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्रादायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड – राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी, विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्रादायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड मे सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप मे पैरवी कर रहे है।

5. आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना:-

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष नवम्बर 2021 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियों द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 871883 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों में से 177600 (20.37 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 694283 (79.63 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहे। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (93.26 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 540311 थी, जिनमें से 49665 (9.20 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 490646 (90.80 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहे जिसमें दोष सिद्धि 64.27 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो से संबंधित माह नवम्बर 2021 तक 3729 अभियोग विचाराधीन रहे, जिनमें 315 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3414 प्रकरण लम्बित रहे तथा दोष सिद्धि का प्रतिशत 47.4 प्रतिशत रहा है।

वर्ष नवम्बर 2021 तक महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित कुल 60796 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 9152 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 51644 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्धि 22.21 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2021 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 15099 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 489 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 14610 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 24.2 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 3.24 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में अन्य अपराध वर्ग अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :—

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021 नवम्बर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	571527	576586	616819
2.	दायर	332796	220244	255064
3.	योग	904323	796830	871883
4.	कमिट (-)	7104	5858	8342
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	897219	790972	863541
ब.	दोषसिद्धि	228020	125098	123819
स.	दोषमुक्ति	26454	8909	8942
द.	अन्य ढंग से	66159	40146	36497
5.	कुल निर्णित प्रकरण	320633	174153	169258
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	576586	616819	694283
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	89.60	93.35	93.26
8.	निर्णय का प्रतिशत	35.74	22.02	19.60

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत 3 वर्षों में भारतीय दण्ड सहिता अंतर्गत दर्ज /
निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :—

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2019	वर्ष 2020	वर्ष 2021 नवम्बर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	401275	409590	445597
2.	दायर	105485	82442	94714
3.	योग	506760	492032	540311
4.	कमिट (-)	6907	6432	8852
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	499853	485600	531459
ब.	दोषसिद्धि	31168	15370	14135
स.	दोषमुक्ति	22725	7754	7858
द.	अन्य ढंग से	36370	16879	18820
5.	कुल निर्णित प्रकरण	90263	40003	40813
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	409590	445597	490646
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	57.83	66.47	64.27
8.	निर्णय का प्रतिशत	18.06	8.24	7.68

6. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ :—

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 64.27 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 93.26 रहा है।

2. पदौन्नति –

(अ) अभियोजन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	वर्ष 2019–20 से 2021–22 की पदौन्नति की जानी शेष है।
2.	उप निदेशक अभियोजन	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
4.	अभियोजन अधिकारी	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

(ब) मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	निजी सचिव	वर्ष 2018–19 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
3.	निजी सहायक	वर्ष 2015–16 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक पदस्थापित नहीं है। वर्ष 2021–22 में पदौन्नति हेतु अनुभव पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं होने से पदौन्नति प्रक्रिया संभव नहीं है।
4.	संस्थापन अधिकारी	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
8.	वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
9.	कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2021–22 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

- 3 **भवनों के सम्बन्ध में:-** वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय बाड़मेर व एसीबी भरतपुर, अभियोजन अधिकारी कार्यालय लूणकरणसर, विजयनगर, दूदू सरवाड़, पुष्कर, आमेट, रेलमगरा के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे जिनमें से बाड़मेर, एसीबी भरतपुर, दूदू आमेट, रेलमगरा, सरवाड़, विजयनगर एवं पुष्कर के भवनों का निर्माण पूर्ण होकर 8 भवनों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी कार्यालय देवली, नाथद्वारा, भीम, देवगढ़, कुम्भलगढ़, खोखरिया मण्डोर, लखेरी, पदमपुर एवं एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल हेतु कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से भीम, देवगढ़, खोखरिया मण्डोर, पदमपुर एवं एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल के भवनों का निर्माण पूर्ण होकर 5 भवनों का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय मेड़ता सिटी एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन बूंदी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय फागी, जयपुर देहात के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है।
- 4 **नियुक्ति:-** वर्ष 2021 में दिनांक 13 दिसम्बर 2021 तक 16 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक, 24 राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड एवं 1 मृतक आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।
- 5 **पद सूजन-** विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में 1 पद सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता) से उप निदेशक अभियोजन (सतर्कता) में 3 पद सहायक अभियोजन अधिकारी से अभियोजन अधिकारी एवं 3 पद कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक में क्रमौन्नत हुए हैं। नवसृजित न्यायालयों में 2 पद सहायक निदेशक अभियोजन, 23 अभियोजन अधिकारी, 52 पद सहायक अभियोजन अधिकारी, 22 पद वरिष्ठ सहायक, 55 पद कनिष्ठ सहायक तथा 77 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सूजन किये गये हैं।
- 6 **बजट –** अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (State Fund) में वर्ष 2021–22 में ₹10764.57 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध 10 दिसम्बर 2021 तक ₹7482.92 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17) (Plan) में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि ₹230.66 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध 10 दिसम्बर 2021 तक राशि ₹28.79 लाख का व्यय हो चुका है।

- 7 **निरीक्षण:-** वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 तक विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के 62.43 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया।
- 8 **E-prosecution Software:-** को प्रायोगिक आधार पर पुलिस थाना चौमू (जयपुर पश्चिम) और पुलिस थाना सांगानेर सदर (जयपुर दक्षिण) विहित किया गया था। जिसके अंतर्गत पुलिस/अभियोजन विभाग पत्रावली/विधिक राय ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे। माह जनवरी 2021 से 20 दिसम्बर 2021 तक राजस्थान में कुल 82651 केसों की प्रविष्टि की गई।
- 9 **भर्ती हेतु अर्थना** –विभाग द्वारा 154 सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 15.09.2021 तथा शीघ्र लिपिक के 09 पदों की दिनांक 19.05.2020 को प्रशासनिक सुधार(अनु-3) विभाग को अर्थना भेजी गई है।